

Types of Rural Settlement

S. Mazumdar

जिन मानव वस्तियों के निवासी कृषि और पशुपालन द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, उन वस्तियों को ग्रामीण वस्तियाँ कहते हैं।

प्रत्येक ग्रामीण वस्ती के दो तत्व होते हैं।

1) गतिशील तत्व - इसके अनर्गत वस्ती के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन आते हैं। 2) स्थैतिक तत्व - इसके अनर्गत मकान और मार्ग आते हैं जो निवास करने वालों को आश्रय देते हैं और उनके सामानों की सुरक्षा करते हैं।

अवासों के आकार, वसाव प्रतिरूप रचना विन्यास एवं कार्य आदि विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण अधिवासों का चिर-सम्मत वर्गीकरण दो प्रकार से है। 1) एकल या प्रविकीर्ण 2) सामूहिक, न्यायित, गुच्छित, ठोस या सघन ग्रामीण अधिवास। वर्तमान समय में वसाव की सघनता एवं प्रकीर्णन के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को मुख्यतः - घाँघ प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

1) सघन ग्रामीण अधिवास :- ऐसे अधिवासों को गुच्छित, संकेंद्रित, न्यायित एवं सामूहिक आदि नामों से जाना जाता है, इसमें मकान या झोपड़ियाँ पास-पास सटे हुए होते हैं। इसके चारों ओर खेत खलिहान या बगीचे स्थित होते हैं, सघन ग्रामीण अधिवासों के आकार के आधार पर नगला, पुरवा या पल्ली या ग्राम वर्गों में बाँटते हैं। ऐसे अधिवास मुख्यतः समतल भूमि, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, पर्याप्त भूमिगत जल एवं उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ कृषि के लिए सहयोग एवं संगठन की भावना और जातीय समष्टि पाई जाती है। ऐसे अधिवास भारत के उत्तरी मैदानों में पाए जाते हैं, यहाँ के छोटे गाँव भी 500 से अधिक जनसंख्यावाले होते हैं। यहाँ कृषक, खेतीहर मजदूर और अन्य सेवाओं जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, नाई, पुरोहित, डोम, चमार

आदि भी निवास करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों के सहयोग से जैसे शतायात, बाजार, ग्रामीण उद्योग आदि धीरे धीरे विकसित होकर मविध्य में कस्बा या शहर, नगर का रूप धारण कर लेते हैं,

2) अर्द्धसघन अधिवास :-> अर्द्धसघन अधिवासों को पुरवा या नगला या Mamlat कहते हैं, इसमें छोटे छोटे अधिवास विस्तृत भूभाग पर फैले होते हैं, इनमें से कुछ बड़े भी होते हैं कभी कभी एक बड़ा गाँव कई पुरवों को मिलाकर बनाता है, जिसमें कई मौलिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से परिवार या जाति के लोग छोटी छोटी बस्ती बनाकर रहते हैं, बाद में यही नगला अनुकूल परिस्थिति के आधार पर बड़ा गाँव बन जाता है, भारत में ऐसे अधिवास साधारणतः हिमालय क्षेत्र और पठारी भागों में पाए जाते हैं, गंगा के मैदानी भाग खासकर तराई और बाढ़ ग्रस्त भूमि में ऐसे अधिवास काफी पाए जाते हैं, भारत की अधिकांश आदिवासियाँ ऐसी ही बस्ती बनाकर रहते हैं,

3) संयुक्त अधिवास :-> ऐसे अधिवास में एक गाँव के साथ उनके कई पुरवे भी जुड़े होते हैं,

4) अपरवाण्डित वस्तियाँ/अधिवास :-> ऐसी वस्तियाँ जिनमें वास गृह अलग अलग होके भी एक ही बस्ती के अन्दर एक दूसरे से निकट वैसे दूर होते हैं, विशेषतः पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में ऐसी वस्तियाँ बनायी पाई जाती हैं, इनके घर आपस में एक दूसरे से अलग होते हुए भी सब घर मिलाकर एक सामुहिक बस्ती बनाते हैं।

5) विकीर्ण/प्रकीर्ण या बिखरा/एकाकी अधिवास :->

ऐसे अधिवासों को एकल अधिवास भी कहते हैं जिसमें मकानों की संख्या एक या कुछ घरे तक ही सीमित रहती है। अधिवास दूर-दूर तक बिखरे हुए होते हैं, ऐसे अधिवास भारत के पहाड़ी भाग और हिमालय के ढालों पर पाए जाते हैं। जहाँ जीवन-यापन के साधन न्यूनतम होते हैं, चरवाहे, आदिवासी कृषक, मधुमारे आखेटक आदि ऐसे ही एकल वसतियों में रहा करते हैं। इन वसतियों में कृषिगृह या वासगृह अलग अलग हुआ करते हैं।

—X—